भारत सरकार
सड़क परिवहन एंव राज मार्ग मंत्रालय
(P-3)

परिवहन भवन
ससंद मार्ग, नई दिल्ली
दि. 27/1/2017.

स0 आर डब्लयू/एनएच-12014/45/2016/बी.आर./एन एच -3
सेवा में,

सचिव,
पथ निर्माण विभाग, (राष्ट्रीय राजमार्ग)
बिहार सरकार, पटना 800001

विषय : Construction of HL RCC minor bridge in km 24 of NH-333 (Span 2x21m) in the State of Bihar.

संदर्भ CE(NH), RCD, Bihar vide letter no. NH-25/Est.-01-66/2016-177(WE) EST. dated 19/12/2016.

(Job No.333-BR-2016-17/903)

महोदय,

मुझे तकनीकी नोट में दी गई शर्तो के अध्यधीन, निम्न ब्योरे के अनुसार संदर्भित निर्माण कार्यो के लिए प्राक्कलन हेतु राष्ट्रपति का तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासनिक और वित्तीय संस्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है ।

		(Rupees in Lakh)
1	राज्य द्वारा भेजे गए उक्त कार्य के लिए प्राक्कलन में उल्लिखत राशि	568.27
2	महानिदेशक (सड़क विकास) एव अ0 स0 द्वारा यथोसंशोधित राशि	516.08
3	तकनीकी अनुमोदन की राशि (9% की दर से एजेंसी प्रभार सहित)	516.08
4	वित्तीय स्वीकृति की राशि	516.08

(Rupees Five Crore Sixteen Lakh and Eight Thousand only)

2 यह संस्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है:-

(i) यह कार्य स्वीकृति की तारीख के 6 (Six)) महीने के भीतर चुने हुए ठेकेदार को प्रदान किया जाएगा (परिपत्र स0 एन0 एच0-15015/29/2001-PL दिनांक 5.7.2001के दिये आदेश के अनुसार।)

(ii) यह कार्य तकनीकी नोट में दिए गय लक्ष्य व उल्लेख के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए;

(iii) कार्य के लिए निविदाएं इस मंत्रालय के परिपत्र पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच/33044/2/2010-एस एंड आर (आर), दिनांक 17.06.2011 और पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच/33044/2/2010-एस एंड आर (आर), दिनांक 17.11.2011 के तहत जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जानी चाहिएं । इस आशय का विज्ञापन, इस मंत्रालय के परिपत्र पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच/11024/3/99-यूएस-डी-10, दिनांक 09.03.2000 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाएगा । चूंकि, वर्तमान कार्य की संस्वीकृति लागत 5.00 करोड़ रु. से अधिक है, इसलिए, निविदा मंत्रालय के परिपत्र पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच/24020/2/99-पीआईसी, दिनांक 04.10.2000 में निहित आदेश के अनुसरण में मंत्रालय के मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी) पर अवश्य आधारित होनी चाहिए ।

(iv) राज्य लोक निर्माण विभाग को सवोंधित इस मंत्रालय के दिनांक 13.1.2000 तथा दिनांक 29.10.2001 के परिपत्रों स0 आर डब्लयू/एन एच-11026/2/99-यू एस(डी ।) में दिए गए आदेश के अनुसार यदि निविदा लागत कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन लागत के 5% से अधिक है, तो इस कार्य को अस्वीकृत करा लिया जाना चाहिए और मंत्रालय से नए प्राक्कलन पर स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए

(iv) इस कार्य पर तथा संस्वीकृत कार्यो पर चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के लिए किए गए आवंटन से अधिक नही होना चाहिए ।

28/5/18
Executive Engineer
N. H. Division
Lakhisarai at Munger